14.1.26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.।
पत्र वादी व प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखवाकर शामिल किया जाकर
दर्ज की जाती है। नियम से कार्य हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2025/274

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— श्री भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 141/2025 GCMS:- 2025/274 **दायर दिनांक : 01.05.2025**

1. मंगतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.

— वादी

बनाम

1. संतोष रानी पत्नी ओमप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
2. रिंकू पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सुनील कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 19, गुरूनानक कॉलोनी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
3. रेखा रानी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी नितिन जाति अरोड़ा निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
4. बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
5. कालूराम पुत्र दासूराम जाति अरोड़ा निवासी शिव मन्दिर के पीछे, बंगलानगर, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राज.
6. मंगतराम पुत्र दासूराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
7. कैलाश देवी पत्नी मुरारी लाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 22, सुरेसिया, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.
8. शकुन्तला पत्नी महावीर प्रसाद जाति अरोड़ा निवासी 2 एपीडी ए (सुखचैनपुरा) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
9. सुभाष चन्द्र पुत्र घनश्यामदास जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
10. अशोक कुमार पुत्र घनश्यामदास जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
दावा बाबत घोषणात्मक एवं खाता तकसीम

उपस्थिति :—

1. श्री योगेश कुमार, अधिवक्ता वादी
2. श्री अजय सारस्वत, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 10
3. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 14.01.2026

1. संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,209 राज.काश्त.अधि. प्रस्तुत कर [illegible] प्रतिवादीगण एक ही सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जो कि उत्त[illegible]वंशज है। तहसील सूरतगढ़ के ग्राम/चक उदयपुर सादानी [illegible] में खसरा सं. 51/2 की 10.246है. तथा खसरा सं. 213/51 की 8.020है. [illegible] 18.266है. बारानी भूमि वादी के दादा जयलाल पुत्र उत्तमामल व उनके भाई [illegible] पुत्र उत्तमामल के साथ साथ प्रतिवादी सं. 4 से 10 व प्रतिवादी सं. 4 के मृतक [illegible] विजय उर्फ विकी पुत्र किशनलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड संयुक्त खाता में खातेदारी है। उक्त भूमि को वाद में आगे विवादित भूमि संबोधित किया जावेगा। प्रतिवादी सं. 1 वादी की माता व प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादी की बहने है। विवादित भूमि में वादी के दादा जयलाल व दादा के भाई चम्बालाल के नाम से प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी के दादा जयलाल का देहान्त दिनांक 15.07.1992 को हो चुका है। वादी के दादा जयलाल जिनके एकमात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विधिक वारिस वादी के पिता ओमप्रकाश थे। वादी के पिता का भी देहान्त दिनांक 16.06.2015 को हो चुका है। वादी के पिता ओमप्रकाश के वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 ही विधिक वारिस है। इस प्रकार वादी के दादा की खातेदारी भूमि वादी के पिता को विरास्तन प्राप्त होनी थी। जिसमें वादी का जन्म से प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ साथ हक एवं अधिकार निहित है।वादी के दादा जयलाल के भाई चम्बालाल की भी मृत्यु दिनांक 22.12.2001 को हो चुकी हैं। चम्बालाल लाऔलाद फौत हुए है जिनके जीवनकाल में उनकी सेवा चाकरी वादी के पिता ओमप्रकाश द्वारा की जाती थी जिससे प्रसन्न होकर चम्बालाल ने अपने जीवनकाल में स्वैच्छा से वादी के पिता की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर विवादित भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि के संबंध में वादी के पिता ओमप्रकाश के पक्ष में वसीयत दिनांक 17.03.1993 को निष्पादित कर दी थी। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण को पूर्ण ज्ञान है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के द्वारा वादी के पिता द्वारा वारिसनामा बाबत दिए गए शपथ पत्र भी वादी के पिता के पक्ष में सहमति के हस्ताक्षर किये गये है। और किसी भी पक्षकार को कोई एतराज नहीं है। वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है जिसके वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3जायज वारिस है। इस कारण वादी के पिता को वसीयतन प्राप्त भूमि में वादी का प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ संयुक्त रूप से हक एवं हिस्सा निहित है। वादी के पिता ओमप्रकाश को प्राप्त विरास्तन एवं वसीयतन भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 से 3 के द्वारा अपना अपना हिस्सा वादी के पक्ष में मौखिक रूप से त्याग किया गया है और इसी अनुसार वादी वर्तमान रिकार्ड में चम्बालाल एवं जयलाल के नाम से दर्ज हिस्सा की कुल 1/3 हिस्सा भूमि पर अन्य प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काबिज है। इस प्रकार वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि की घोषणा अपने नाम से करवाने का अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड के खातेदार विजय उर्फ विकी का देहान्त दिनांक 01.03.2024 को हो चुका हैं, जो कि लाऔलाद फौत हुए हैं। जिनका एकमात्र विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 4 बाबूलाल है। इसलिए मृतक खातेदार विजय उर्फ विकी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।विवादित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है।जो कि वादी के परिवार में संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है जिसका वादी अपने हिस्सा की भूमि को विभाजित करवाने का अधिकारी हैं जब वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 को भूमि वादी के नाम से करवाने और खाताविभाजन की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग हेतु कहा तो वादीगण पहले टालमटोल करते रहे और अंततः दिनांक 02.12.2024 को बमुकाम जैतसर में स्पष्ट रूप से इंकार हो गये कि उनके पास समय नहीं हैं वादी अपने स्तर पर जो कार्यवाही करना चाहे कर ले। इसलिए वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। यही तारीख बिनाए दावा है। प्रतिवादी सं. 11 को भूमि धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किया गया है।वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। वाद पत्र 06 /— रूपये कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री करने हेतु निवेदन किया कि विवादित भूमि तहसील सूरतगढ़ के ग्राम/चक उदयपुर सादानी की जमाबंदी के खाता सं. 155/4 में खसरा सं. 51/2 की 10.246है. तथा खसरा सं. 213/51 की 8.020है. कुल 18.266है. बारानी में जयलाल 1/6 हिस्सा व चम्बालाल 1/6 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे व भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु आदेश प्रतिवादी सं. 11 तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जावे।विवादित भूमि में वादी के हिस्सा की भूमि का अन्य सह खातेदारान/प्रतिवादीगण से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का रास्ता/सिंचाई सुविधा के मध्यनजर खाता विभाजन किया जावे। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाये जावे ऐसा निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 10 जरिए अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 3 जवाब वाद पत्र पेश कर वाद की मांग स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा विवादित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को अपने पुत्र/भाई वादी के पक्ष में मौखिक रूप से त्याग किया हुआ है। विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण कोई हक हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहते है। यदि वाद पत्र वादी चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज व आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादीगण वादी के साथ सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रतिवादी सं. 4 जवाब वाद पत्र मय काउण्टर क्लैम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 बाबूलाल व उसके मृतक भाई विकी उर्फ विजय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रत्येक के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में हक त्याग किया गया हो इसका इल्म प्रतिवादी को नहीं है। परन्तु वादी का मिन प्रतिवादी के साथ विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से अपने परिवार के 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज होना स्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी वादी को उक्त भूमि के संबंध में की जानी वाली कार्यवाही के संबंध में सहयोग हेतु इंकार नहीं किया गया है।यदि वाद पत्र वादी चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई एतराज व आपत्ति नहीं हैं।विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 व उसके भाई विजय उर्फ विकी प्रत्येक के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि खातेदारी संयुक्त खाता में दर्ज हैं। प्रतिवादी का भाई दिनांक 01.03.2024 को लाऔलाद फौत हो चुका है जिसका प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं होने के कारण एकमात्र विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 4 है। जिससे प्रतिवादी अपने मृतक भाई स्व. विजय उर्फ विकी के हिस्सा की 1/12 हिस्सा भूमि को विरास्तन प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने 1/12 हिस्सा और विजय उर्फ विकी के 1/12 हिस्से की भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा अपने हिस्से की कुल 1/6 हिस्सा भूमि का अन्य प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।प्रतिदावा 2 रूपये न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रतिदावा प्रतिवादी स्वीकार कर विवादित भूमि में से खातेदारी विजय उर्फ विकी के 1/12 हिस्सा की भूमि का प्रतिवादी को खातेदार घोषित करते हुए मिन प्रतिवादी के 1/12 हिस्सा के साथ साथ विवादित भूमि में कुल 1/6 हिस्सा की भूमि पर प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर अन्य सहखातेदारान से खाता विभाजन कर पृथक खाता में दर्ज कर किया जावे। इस संबंध में आदेश प्रतिवादी सं. 11 को प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. प्रतिवादी सं. 5–6 जवाब वाद पत्र मय काउण्टर क्लैम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 5 व 6 प्रत्येक के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है।प्रतिवादी सं. 1 से 3 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में हक त्याग किया गया हो इसका इल्म प्रतिवादीगण को नहीं है। परन्तु वादी का प्रतिवादीगण के साथ विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से अपने परिवार के 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज होना स्वीकार है।प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी वादी को उक्त भूमि के संबंध में की जानी वाली कार्यवाही के संबंध में सहयोग हेतु इंकार नहीं किया गया है।यदि वाद पत्र वादी चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज व आपत्ति नहीं हैं।विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 5 व 6 प्रत्येक के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि खातेदारी संयुक्त खाता में दर्ज हैं जिस पर समस्त प्रकार के हक एवं अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त होने से प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त खाता की भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि को अलग करवाने के अधिकारी हैं।प्रतिदावा 2 रूपये न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।प्रतिदावा प्रतिवादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता विभाजन कर प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि को संयुक्त रूप से पृथक खाता में दर्ज किया जावे। इस संबंध में आदेश प्रतिवादी सं. 11 को प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया।

5. प्रतिवादी सं. 7–8 जवाब वाद पत्र मय काउण्टर क्लैम प्रस्तुत कर निवेदन किया किविवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 5 व 6 प्रत्येक के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में हक त्याग किया गया हो इसका इल्म प्रतिवादीगण को नहीं है। परन्तु वादी का प्रतिवादीगण के साथ विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से अपने परिवार के 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज होना स्वीकार है। प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी वादी को उक्त भूमि के संबंध में की जानी वाली कार्यवाही के संबंध में सहयोग हेतु इंकार नहीं किया गया है। यदि वाद पत्र वादी चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज व आपत्ति नहीं हैं।विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 7 व 8 प्रत्येक के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि खातेदारी संयुक्त खाता में दर्ज हैं जिस पर समस्त प्रकार के हक एवं अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त होने से प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त खाता की भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि को अलग करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिदावा 2 रूपये न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रतिदावा प्रतिवादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहखातेदारान से खाता विभाजन कर प्रतिवादीगण सं. 7 व 8 के हिस्सानुसार भूमि को पृथक–पृथक करते हुए पृथक खाता में दर्ज किया जावे। इस संबंध में आदेश प्रतिवादी सं. 11 को प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया।

6. प्रतिवादी सं. 9–10 जवाब वाद पत्र मय काउण्टर क्लैम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 9 व 10 प्रत्येक के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में हक त्याग किया गया हो इसका इल्म प्रतिवादीगण को नहीं है। परन्तु वादी का प्रतिवादीगण के साथ विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से अपने परिवार के 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज होना स्वीकार है। प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी वादी को उक्त भूमि के संबंध में की जानी वाली कार्यवाही के संबंध में सहयोग हेतु इंकार नहीं किया गया है। यदि वाद पत्र वादी चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज व आपत्ति नहीं हैं। विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 9 व 10 प्रत्येक के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि खातेदारी संयुक्त खाता में दर्ज हैं जिस पर समस्त प्रकार के हक एवं अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त होने से प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त खाता की भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि को अलग करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिदावा 2 रूपये न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रतिदावा प्रतिवादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता विभाजन कर प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि को संयुक्त रूप से पृथक खाता में दर्ज किया जावे। इस संबंध में आदेश प्रतिवादी सं. 11 को प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया।

7. वादी जवाब काउण्टर क्लैम प्रतिवादी सं. 4, 5–6, 7–8 व 9–10 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावों की समस्त मद् स्वीकार हैं।यदि प्रतिवादीगण के प्रतिदावे स्वीकार किये जाते है तो वादी को कोई एतराज एवं आपत्ति नहीं है।प्रतिवादीगण के प्रतिदावे वांछित अनुतोष अनुसार स्वीकार किये जाने और वादी का वाद पत्र भी डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

8. राजपैरोकार जवाब सरकार पेश कर निवेदन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र को निस्तारण किया जावे।

9. तनकीयात कायम कर व्याख्या की गइ।

10. वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र मंगतराम का पेश हुआ, जिस पर ब्यान दर्ज किये गये और दस्तावेज प्रदर्श लगाए गए। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र बाबूलाल का पेश हुआ जिस पर ब्यान दर्ज किये गये और दस्तावेज प्रदर्श लगाए गये। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विवाद नहीं है। विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है। विवादित भूमि के खातेदार जयलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसका एक मात्र वारिस वादी के पिता ओमप्रकाश थे। खातेदार चम्बालाल की मृत्यु हो चुकी है। चम्बालाल के द्वारा अपनी भूमि की वसीयत वादी के पिता ओमप्रकाश के पक्ष में की गई थी, जिससे वादी के पिता को भूमि के समस्त अधिकार वसीयत के आधार पर प्राप्त हो चुके थे। वादी के पिता औमप्रकाश की भी मृत्यु हो चुकी है ओमप्रकाश के विधिक वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 है।प्रतिवादी सं. 1 से 3 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को अपने बेटे/भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है वे हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहते है। वादी विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में जयलाल व चम्बालाल के नाम से दर्ज 1/6–1/6 हिस्सा भूमि पर अपने विरासतन खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा भूमि का विधिक खाता विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 4 के भाई विजय उर्फ विकी के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि ... विजय उर्फ विकी की मृत्यु हो चुका है। जिनका एकमात्र प्रथम श्रेणी का ... उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 4 है। प्रतिवादी सं. 4 अपने मृतक भाई विजय उर्फ विकी ... नाम से दर्ज1/12 हिस्सा भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा ... सहखातेदारान से खाताविभाजन करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 5 से 10 भूमि के रिकार्डेड टिनेंट है, जिस कारण वे अपने अपने हिस्सा की भूमि का अन्य ... खातेदारान से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी सं. 4 से 10 स्वीकार डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

11. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

चक उदयपुर सादानी की जमाबंदी के खाता सं. 155/4 में खसरा सं. 51/2 की 10.246है. तथा खसरा सं. 213/51 की 8.020है. कुल 18.266है. बारानी भूमि जयलाल पुत्र उत्तमामल 1/6 हिस्सा व चम्बालाल पुत्र उत्तमामल 1/6 हिस्सा, विजय उर्फ विक्की 1/12 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 4 से 10 प्रत्येक 1/12 हिस्सा भूमि खातेदार दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र जयलाल व ओमप्रकाश प्रस्तुत किये गये है जिस अनुसार जयलाल के वारिस ओमप्रकाश तथा ओमप्रकाश के वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 है। वसीयतनामा दस्तावेज चम्बालाल बहक ओमप्रकाश प्रस्तुत किया गया है जिस अनुसार चम्बालाल द्वारा विवादित भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि बाबत ओमप्रकाश पुत्र जयलाल के पक्ष में वसीयत की गयी है। मृत्यु प्रमाण पत्र चम्बालाल, ओमप्रकाश पेश किये गये है।प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं कर चाहे अनुतोष अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों मृत्यु प्रमाण पत्र चम्बालाल, जयलाल, ओमप्रकाश वसीयत पत्र चम्बालाल व वारिस प्रमाण पत्र ओमप्रकाश व जयलाल तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 की सहमति के आधार पर वादी विवादित भूमि में जयलाल व चम्बालाल के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी पाया जाता है।

12. प्रतिवादी सं. 4 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र विजय, सदस्यता प्रमाण पत्र विजय उर्फ विक्कीके अनुसार विवादित भूमि के खातेदार विजय उर्फ विकी की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस प्रतिवादी सं. 4 बाबूलाल है तथा विरासत आधार पर भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी पाया जाता है।
13. विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 4 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं. 4 से 10 विवादित भूमि के सहखातेदार होने के कारण अपने अपने हिस्सानुसार भूमि का खाता विभाजन करवाने के विधिक अधिकारी है।
14. चूंकि वादी व प्रतिवादी तनकी सं. 1 ता 4 को अपने अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल हुए हैऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाना उचित हैं।

—:: आदेश ::—

15. **वाद पत्र वादी एव प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी सं. 4, 5–6, 7–8 व 9–10 स्वीकार किया जाता है एवं प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि –**
    1. विवादित भूमि चक उदयपुर सादानी की जमाबंदी के खाता सं. 155/4 में खसरा सं. 51/2 की 10.246 है. तथा खसरा सं. 213/51 की 8.020है. कुल 18.266है. बारानी भूमि के खातेदार जयलाल पुत्र उत्तमामल 1/6 हिस्सा व चम्बालाल पुत्र उत्तमामल 1/6 हिस्सा भूमि का वादी मंगतराम को खातेदार घोषित किया जाता है।
    2. विवादित भूमि चक उदयपुर सादानी की जमाबंदी के खाता सं. 155/4 में खसरा सं. 51/2 की 10.246है. तथा खसरा सं. 213/51 की 8.020है. कुल 18.266है. बारानी भूमि के खातेदार विजय उर्फ विकी पुत्र किशनलाल 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं. 4 बाबूलाल को खातेदार घोषित किया जाता है।
    3. तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिए जाते है कि उपर्युक्तानुसार संयुक्त खाता की विवादित भूमि में वादी के नाम से 1/3 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी सं. 4 के नाम से कुल 1/6 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार दर्ज की जावे।
    4. तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिए जाते है किवादी व प्रतिवादी सं. 4 के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड करने के उपरान्त संयुक्त खाते की विवादित भूमि का खाता विभाजन वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5–6 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9–10 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा संयुक्त रूप से करते हुए खाता विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **परचा डिक्री** ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: **अनवान** ::–

1. मंगतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.

– वादी

बनाम

1. संतोष रानी पत्नी ओमप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
2. रिंकू पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सुनील कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 19, गुरूनानक कॉलोनी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
3. रेखा रानी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी नितिन जाति अरोड़ा निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
4. बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
5. कालूराम पुत्र दासूराम जाति अरोड़ा निवासी शिव मन्दिर के पीछे, बंगलानगर, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राज.
6. मंगतराम पुत्र दासूराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
7. कैलाश देवी पत्नी मुरारी लाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 22, सुरेसिया, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.
8. शकुन्तला पत्नी महावीर प्रसाद जाति अरोड़ा निवासी 2 एपीडी ए (सुखचैनपुरा) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
9. सुभाष चन्द्र पुत्र घनश्यामदास जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
10. अशोक कुमार पुत्र घनश्यामदास जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 09 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ पुराना जिला श्रीगंगानगर राज.
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,53,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 141 वर्ष 2025 (GCMS No. 2025/274) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रुबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री योगेश कुमार, वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 10 तथा पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद पत्र वादी एव प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी सं. 4, 5–6, 7–8 व 9–10 स्वीकार किया जाता है एवं प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि –

1. विवादित भूमि चक उदयपुर सादानी की जमाबंदी के खाता सं. 155/4 में खसरा सं. 51/2 की 10.246 है. तथा खसरा सं. 213/51 की 8.020 है. कुल 18.266है. बारानी भूमि के खातेदार जयलाल पुत्र उत्तमामल 1/6 हिस्सा व चम्बालाल पुत्र उत्तमामल 1/6 हिस्सा भूमि का वादी मंगतराम को खातेदार घोषित किया जाता है।
2. विवादित भूमि चक उदयपुर सादानी की जमाबंदी के खाता सं. 155/4 में खसरा सं. 51/2 की 10.246है. तथा खसरा सं. 213/51 की 8.020है. कुल 18.266है. बारानी भूमि के खातेदार विजय उर्फ विकी पुत्र किशनलाल 1/12 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं. 4 बाबूलाल को खातेदार घोषित किया जाता है।
3. तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिए जाते है कि उपर्युक्तानुसार संयुक्त खाता की विवादित भूमि में वादी के नाम से 1/3 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी सं. 4 के नाम से कुल 1/6 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार दर्ज की जावे।
4. तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिए जाते है [illegible] प्रतिवादी सं. 4 के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड करने के उपरान्त संयुक्त खाता की विवा[illegible] भूमि [illegible] खाता विभाजन वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5[illegible] प्रत्येक का 1/12 हिस्सा संयुक्त रूप से, प्रतिवादी सं. 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. [illegible] 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9–10 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा संयुक्त रूप से करते हुए खाता विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

नोज......x......मुबलिग...... x......बाबत...... x......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह...... x...... फस्दों की पालना...... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14.01.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)